

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2022/255 ✓

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री नारायण
पिता रायमल जाति बैरवा निवासी दोरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला
है। प्रार्थी की जाति ग्राम दोरा पटवार मण्डल दोरा के खाता संख्या 234 में चमार
दर्ज है जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-8/96/जयपुर दिनांक 04-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी
()

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक वि. नारायण बैरवा

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री नारायण पिता रायमल की
ग्राम दोरा प.0म0 दोरा के खाता संख्या 234 में जाति चमार दर्ज है; जबकि आवेदक की
वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा
करें।

पटवारी दोरा
9-22-2022
भू.अ.नि.0
वृत्त दोरा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार


मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री नारायण पिता रायमल की
ग्राम दोरा प.0म0 दोरा के खाता संख्या 234 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की
सिफारिश की जाती है।

तहसीलदार वि. नारायण बैरवा
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आदेश

230/22
24/6/22

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिप्राय के प्रार्थी
श्री नारायण पिता रायमल की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम दोरा
प.0म0 दोरा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 234 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश
दिया जाता है। अतः तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।


उप प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)